षोडश बिहार विधान सभा

अष्टम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-30.11.2017 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री मनीष कुमार, स०वि०स० श्री संजय सरावगी, स०वि०स० श्री श्याम रजक, स०वि०स० श्री अशोक कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-224), स०वि०स० श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह, स०वि०स० श्री अरूण कुमार सिन्हा, स०वि०स० श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव, स०वि०स० श्री नीरज कुमार सिंह, स०वि०स०	"राज्य में निजी विद्यालय की स्थापना, मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण उनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है । वे मनमाने ढंग से अपना फीस निर्धारित करते हैं तथा अभिभावकों का आर्थिक शोषण करते हैं । शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत प्रत्येक विद्यालय को अपने पोषक क्षेत्र के 25 प्रतिशत गरीब बच्चों का नामांकन लेना है, लेकिन राज्य के किसी भी निजी विद्यालय द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है । नामांकन प्रक्रिया में मनमानी करते हैं, तथा वहाँ कार्यरत शिक्षकों को काफी कम राशि का भुगतान करते हैं । प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में निजी विद्यालय द्वारा अराजक स्थिति उत्पन्न कर दी गई है, जिसका कुप्रभाव सरकारी विद्यालयों पर भी पड़ रहा है । अतएव इस महत्वपूर्ण विषय की ओर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री भोला यादव, स०वि०स० श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम, स०वि०स० श्रीमती एज्या यादव, स०वि०स० श्री विजय कुमार 'विजय', स०वि०स० श्री अरूण कुमार, स०वि०स० श्री अनिल कुमार यादव, स०वि०स० श्री वीरेन्द्र कुमार, स०वि०स० श्री राजेन्द्र कुमार, स०वि०स०	"महुआ के बारे में एक आम धारणा हो गयी है कि इससे देशी शराब तैयार की जाती है जबकि यह एक आयुर्वेदिक औषधि है । महुआ गठिया, बुखार, चेहरे के दाग-धब्बे, दांतों की मजबूती, खांसी, बवासीर, घुटने के दर्द पर नियंत्रण पाने में सहायक है । शराबबन्दी के बाद महुआ पर भी सरकारी गाज गिरी और महुआ रखने वालों पर कानूनी कार्रवाई की गयी । लोग भयाक्रांत हो गये हैं और महुआ चुनने से भी डरने लगे हैं । बिहार कृषि प्रधान और गरीब राज्य है । महुआ गरीबों के लिये जीविकोपार्जन का आधार भी है । महुआ को भी कृषि रोड मैप के तहत लाकर सरकार द्वारा उसका विपणन केन्द्र खोले जाने आदि से गरीब किसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगे । अत: महुआ के व्यापार की अनुमति देने तथा महुआ का विपणन केन्द्र खोलकर उसका दर सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	कृषि पर्यावरण एवं वन

राम श्रेष्ठ राय
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-32/17-6864-6874 / वि०स०, पटना, दिनांक- 29 नवम्बर, 2017 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग / कृषि विभाग तथा पर्यावरण एवं वन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29.11.2017
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-32/17-6864-6874 / वि०स०, पटना, दिनांक- 29 नवम्बर, 2017 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

29.11.2017
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

29/11/17